डिक्री बमुकदमे ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्य.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 329/2024

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व. डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी प्रेमनगर वार्ड नं. 39 हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ(राज.)

--वादी

बनाम्

1. दयावन्ती कंवर पुत्री स्व. डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी प्रेमनगर वार्ड नं. 39 हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ(राज.)
2. शाखा प्रबन्धक कॉपरेशन बैंक, 2 केएनजे हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ(राज.)(विलोपित)
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया

--प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कैलाश सिंवल अभिभाषक वादी मिन जामिन मुद्दई श्री बन्दुश बिश्नोई अभिभाषक प्रतिवादीगण की उपस्थिति में यह डिक्री दी जाती है कि तहसील संगरिया में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के पिता डूंगर सिंह के नाम दर्ज चक 6 एनजीआर के खाता सं. 57/53 जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 में 3.149 है. कृषि भूमि व चक 13 एसबीएन के खाता सं. 58/76 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.038 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त दोनो खातो में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के पिता डूंगर सिंह पुत्र सुगन सिंह का नाम कलमजन किया जावें।

आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज..X..निल....X....मुब्लिक..X..निल.......X..बाबत...X..निल...X....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.......X.......को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक .... को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 13:25:06
Reason: SelfAttested